न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र : 80 / 2021

निर्णय दिनांक : 16.12.2021

1. सीता देवी पत्नी स्व0 श्री सीताराम शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 59 वर्ष, निवासी 30, बजरंग कॉलोनी, सांगानेर, जिला जयपुर।
2. भरत गौड़ पुत्र स्व0 श्री सीताराम शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 36 वर्ष, निवासी 30, बजरंग कॉलोनी, सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कोमल पुत्री श्री मदनलाल, जाति ब्राह्मण, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. श्रीमति पुष्पा देवी पत्नी श्री मदनलाल, जाति ब्राह्मण, उम्र 51 वर्ष, निवासी ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद संख्या 171 / 2007 उनवानी कोमल व अन्य बनाम मदनलाल व अन्य बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन है। उक्त वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 159 / 2007 उनवानी कोमल व अन्य बनाम मदनलाल व अन्य जिसका निस्तारण दिनांक 02.06.2016 को गया है, में माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को वाद के निस्तारण तक वाद में वर्णित आराजी भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के लिए पावन्द किया गया है। उक्त आदेश की अपील भी नही हुई है। उक्त प्रकरण ग्राम जयजसपुरा, पटवार हल्का अजयराजपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 46, 62, 63, 81, 144, 145 / 344 व 208 कुल रकबा 3.48 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 78, 80, 117, व 230 / 305 कुल रकबा 2.60 हैक्टेयर के सम्बन्ध में है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी संख्या 1 के पति व प्रार्थी संख्या 2 के पिता सीताराम पुत्र रामकिशोर भी अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार है। प्रार्थीगण के पति / पिता सीताराम प्रत्र रामकिशोर की दिनांक 11.03.2021 को मृत्यु हो गई है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि में सीताराम पुत्र रामकिशोर का विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने नामान्तरकरण खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, लेकिन उक्त भूमि [illegible] य न्यायालय के उक्त स्टे आदेश से प्रार्थीगण के नाम विरासत का [illegible] नही खुल रहा है। उक्त उनवानी वाद में वादीगण ने घोषणा का अनुतोष केवल प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल के हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में चाहा है। प्रतिवादी संख्या [illegible] के हिस्से की भूमि के [illegible] में वादीगण का घोषणा का वाद नही है। इस कारण यदि प्रार्थीगण के नाम विरासत का नामान्तरकरण खोला जाता है तो वादीगण के अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रभाव पडने की सम्भावना नही है। उक्त उनवानी वाद विभाजन के सम्बन्ध में भी है। कानूनन सभी सहकाश्तकारों में विभाजन होना कानूनन आवश्यक है। अपने पति / पिता के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:50:04 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

की भूमि में जब तक मिन अप्रार्थीगण का नाम दर्ज नही होगा तब तक विभाजन भी किया जाना सम्भव नही है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार जी सांगानेर को यह निर्देशित किया जावें कि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि (वादग्रस्त) में सीताराम पुत्र रामकिशोर का विरासत का नामान्तरकरण नियमानुसार उसके वारिसान के नाम किया जाता है तो इस न्यायालय का स्टे आदेश दिनांक 02.06.2016 उक्त नामान्तरकरण में बाधा नही है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 22.07.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री बी. आर. जोशी एडवोकेट ने अण्डरटेंकिग दी, दिनांक 27.07.2021 को अप्रार्थीगण की ओर श्री विशाल जोशी एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं दिनांक 10.09.2021 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मान्य न्यायालय के द्वारा वाद संख्या 171/2007 उनवानी सुश्री कोमल वगैरह बनाम मदललाल वगैरह के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 159/2007 उनवानीं सुश्री कोमल वगैरह बनाम मदनलाल वगैरह को दिनांक 02.06.2016 को अन्तिम रूप से निस्तारित किया जा चुका है, ऐसी अवस्था में दिनांक 02.06.2016 के आदेश में किसी प्रकार फेरबदल विधि अनुसार नही किया जा सकता है। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 सीताराम पुत्र रामकिशोर के विरूद्ध वाद में दिनांक 05.03.2008 को तामील होने के बावजूद भी उपस्थित नही होने पर मान्य न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। उसके उपरान्त भी आज दिन तक ना तो अप्रार्थी/प्रतिवादी सीताराम ने और ना ही उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान ने वाद में किसी प्रकार की कार्यवाही की है। ना ही प्रार्थीगण आज दिनांक तक प्रकरण में पक्षकार के रूप में संयोजित है। मान्य न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर किसी प्रकार का आदेश पारित करते है तो मान्य न्यायालय द्वारा स्वयं के आदेश को पुर्नविलोकन की परिधि में आने के समान है। यदि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण के नाम से नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया गया तो प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि की किस्म में परिवर्तन एवं विक्रय कर सकते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर वाद के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की क्रियान्विति को यथावत रखा जाये।

उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया। हमने बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद संख्या 171/2007 उनवानी कोमल व अन्य बनाम मदनलाल व अन्य बाबत घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन है। उक्त वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 159/2007 उनवानी कोमल व अन्य बनाम मदनलाल व अन्य जिसका निस्तारण दिनांक 02.06.2016 को गया है, में माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को वाद के निस्[illegible] वाद में वर्णित आराजी भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति [illegible] किया गया है। उक्त प्रकरण ग्राम जयजसपुरा, पटवार हल्का [illegible] तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में है। प्रार्थीगण के पति/पिता सीताराम प्रत्र रामकिशोर की दिनाक 11.03.2021 को मृत्यु हो गई है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि में सीताराम पुत्र रामकिशोर का विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करवाना चाहते है। उक्त वाद में वादीगण ने घोषणा का अनुतोष केवल प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल के हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में चाहा है। प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में वादीगण का घोषणा का वाद नही है। यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:50:04 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

प्रार्थीगण के नाम विरासत का नामान्तरकरण खोला जाता है तो वादीगण के अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रभाव पडने की सम्भावना नही है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार जी सांगानेर को आदेश दिया जावें कि उक्त वर्णित भूमि में सीताराम पुत्र रामकिशोर का विरासत का नामान्तरकरण नियमानुसार उसके वारिसान के नाम किया जाता है तो इस न्यायालय का स्टे आदेश दिनांक 02.06.2016 उक्त नामान्तरकरण में बाधा नही है। मान्य न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 159/2007 उनवानी सुश्री कोमल वगैरह बनाम मदनलाल वगैरह को दिनांक 02.06.2016 को अन्तिम रूप से निरतारित किया जा चुका है, ऐसी अवस्था में दिनांक 02.06.2016 के आदेश में किसी प्रकार फेरबदल विधि अनुसार नही किया जा सकता है। मान्य न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर किसी प्रकार का आदेश पारित करते है तो मान्य न्यायालय द्वारा स्वयं के आदेश को पुर्नविलोकन की परिधि में आने के समान है। यदि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण के नाम से नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया गया तो प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि की किस्म में परिवर्तन एवं विक्रय कर सकते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वार प्रस्तुत वाद में मदनलाल के हक व हिस्से से ही अनुतोष चाहा गया, सीताराम पुत्र रामकिशोर के हक व हिस्से सम्बन्धित कोई अनुतोष अप्रार्थीगण नही चाहा गया ऐसी स्थिति में सीताराम पुत्र रामकिशोर के विरासत का नामान्तकरण प्रार्थीगण के हक में तस्दीक किया जाता है तो वाद की प्रकृति पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा इसलिए न्यायालय द्वारा पारित स्टे आदेश दिनांक 02.06.2016 में सीताराम पुत्र रामकिशोर की द्वारा विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करवाने की छूट प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दिवानी बाबत दौराने वाद विरासत के नामान्तरकरण की हद तक स्टे आदेश की बाधा न होने का निर्देश दिये जाने स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में सीताराम पुत्र रामकिशोर का विरासत का नामान्तरकरण नियमानुसार उसके वारिसान के नाम तस्दीक किया जावें। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ हमपीता हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:30:04 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर